

न्यायालय—मधुसूदन जंघेल,
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट (म0प्र0)

दाण्डिक प्रक.क.1032 / 2014

स्थित दिनांक 07.11.2014

फाइलिंग नं.34503008292014

म0प्र0 राज्य द्वारा थाना प्रभारी आरक्षी
केन्द्र बैहर जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....अभियोजन

!! विरुद्ध !!

1.संजय पिता गोवर्धन प्रसाद गुप्ता, उम्र-42 वर्ष,
2.श्रीमति नीता पति संजय गुप्ता, उम्र-42 वर्ष,
3.वंदना पति अजय गुप्ता, उम्र-42 वर्ष,
सभी निवासी वार्ड नंबर-9 सिविल लाईन बैहर
जिला बालाघाट(म0प्र0)

.....आरोपीगण

!! निर्णय !!

(दिनांक 02/07/2018 को घोषित किया गया)

01. उपरोक्त नामांकित आरोपीगण पर दिनांक 09.10.2014 को समय 8:30 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर 9 सिविल लाईन, बैहर में फरियादी सीमाबाई को लोकस्थान या उसके समीप मॉ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित करने, अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी सीमाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सीमाबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित करने, फरियादी सीमाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित करने, इस प्रकार धारा-294, 323/34, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के अंतर्गत दण्डनीय अपराध कारित करने का आरोप है।

02. प्रकरण में कोई महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य नहीं है।

03. अभियोजन का मामला संक्षेप में इस आशय का है कि घटना दिनांक 09.10.2014 को सुबह 8:30 बजे फरियादी सीमाबाई अपनी देवरानी वंदना से पेंट के डिब्बे के संबंध में बातचीत कर रही थी, तब फरियादी सीमा ने वंदना से कहा कि वह जबलपुर से पेंट का डिब्बा मंगवाकर दे देगी, इसी बात को

लेकर फरियादी सीमा एवं वंदना का विवाद होने लगा। उसी समय आरोपी संजय एवं नीता गुप्ता को वंदना ने बुला लिया तथा जमीन के पुराने विवाद को लेकर गाली-गलौच कर फरियादी सीमा को मारपीट करने लगे और जान से मारने की धमकी दिये। घटना के उपरांत फरियादी ने थाना बैहर में रिपोर्ट की, जिसे थाना के प्रथम सूचना रिपोर्ट अप0क0-157 / 14 धारा-294, 323 / 34, 506 भा.दं.वि. का पंजीबद्ध कर प्रकरण विवेचना में लिया गया। फरियादी का मेडिकल परीक्षण कराया गया। साक्षीगण के कथन लेखबद्ध किये गये। घटनास्थल का मौका-नक्शा बनाया गया। आरोपीगण को गिरफ्तार किया गया एवं आवश्यक अन्वेषण उपरांत धारा-294, 323 / 34, 506 भाग-दो भा.दं.वि. के अंतर्गत अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

04. आरोपीगण ने अपने अभिवाक् तथा अभियुक्त परीक्षण अन्तर्गत धारा-313 द0प्र0सं0 में आरोपित अपराध करना अस्वीकार किया है तथा बचाव में कथन किया है कि वे निर्दोष हैं, उन्हें झूठा फसाया गया है। आरोपीगण ने अपने बचाव में किसी भी साक्षी का परीक्षण नहीं कराया है।

05. प्रकरण के निराकरण हेतु निम्नलिखित प्रश्न विचारणीय हैं-

1. क्या आरोपीगण ने दिनांक 09.10.2014 को समय 8:30 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर 9 सिविल लाईन, बैहर में फरियादी सीमाबाई को लोकस्थान या उसके समीप मॉ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया ?

2. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी सीमाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सीमाबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया ?

3. क्या आरोपीगण ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी सीमाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

—:: निष्कर्ष एवं निष्कर्ष के कारण ::—**विचारणीय प्रश्न क्रमांक-01 से 03**

06. सीमाबाई अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपी वंदना ने उसके पति अरविंद को चोर, हरामखोर, बेईमान की गंदी-गंदी गाली दी थी, जो सुनने में बुरी लगी थी। अंकुर अ.सा.02 ने बताया है कि आरोपी उसकी माँ सीमा को गंदी-गंदी गाली दे रही थी, जो सुनने में बुरी लगी, किन्तु सीमा ने स्वयं को गाली दिये जाने के बारे में नहीं बताया है, बल्कि अपने पति अरविंद गुप्ता को गाली देने के बारे में बताया है। अरविंद गुप्ता अ.सा.03 ने बताया है कि आरोपी वंदना उसे चोर और हरामखोर कह रही थी, तब उसने कहा कि वे लोग चोर, बेईमान नहीं है, गाली मत दो। इस प्रकार चोर, बेईमान और हरामखोर जैसे शब्द आरोपीगण द्वारा उच्चारित करना बताया गया है, किन्तु उक्त शब्द अश्लील प्रकृति के नहीं हैं तथा फरियादी सीमा ने प्रतिपरीक्षण में यह भी स्वीकार किया है कि जहाँ विवाद हुआ वह सार्वजनिक स्थान नहीं है घर के अंदर है। इस प्रकार घटनास्थल न तो सार्वजनिक स्थान है और ना ही आरोपीगण द्वारा उच्चारित किये गये शब्द अश्लील प्रकृति के हैं। फलतः आरोपीगण द्वारा फरियादी सीमाबाई को माँ-बहन की अश्लील गालियाँ देकर क्षोभ कारित किया जाना प्रमाणित नहीं पाया जाता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-02

07. सीमा गुप्ता अ.सा.01 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानती है। घटना दिनांक 09.10.2014 के सुबह 8:30 बजे की है। वह अपने किचन में थी, उसी समय आरोपी वंदना ने उसके पति को चोर, बेईमान कहा और वंदना ने संजय और नीता को बुला लिया। संजय उसके पति को मारने के लिए दौड़ा उसी समय उसने अपने पति को मारने से मना किया, तब संजय ने उसे हाथ-मुक्के से मारपीट की थी, जिससे उसकी चूड़ी एवं गले का माला टूट

गया। आरोपी ने उसका हाथ मरोड़ दिया था। फिर उसने घटना की रिपोर्ट प्र.पी.01 थाना बैहर में की थी। पुलिस ने घटनास्थल का नक्शा-मौका प्र.पी.02 तैयार किया था तथा उसके हाथ की चूड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आरोपी नीता एवं वंदना उसकी देवरानी है तथा संजय उसका देवर है। जमीन को लेकर आरोपीगण से विवाद है। वर्ष 2006 से उनकी बातचीत नहीं है। उसकी सास ने उन्हें संपत्ति में हिस्सा नहीं दिया, इसी कारण विवाद चल रहा है। प्रतिपरीक्षण में यह भी बताया है कि तीनों आरोपीगण ने घर के अंदर मारपीट की थी। शरीर में कई जगह मारे थे, जिससे उसके शरीर में 15-20 जगह चोटें आई थी। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में दिये गये सुझाव से भी मारपीट की घटना प्रमाणित है तथा साक्षी ने प्रतिपरीक्षण में इससे भी इंकार किया है कि उसने आरोपीगण के विरुद्ध झूठी रिपोर्ट की थी।

08. मंजुलाल अ.सा.06 ने बताया है कि दिनांक 09.10.2014 को फरियादी सीमाबाई थाना बैहर में उपस्थित होकर आरोपी संजय के विरुद्ध रिपोर्ट की थी, तब उसने अपराध क्रमांक 157/14 धारा 294, 323, 506 भा.द.वि. की प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 लेखबद्ध किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बताया है कि उसे जानकारी नहीं है कि घटना के दिन ही आरोपी वंदना रिपोर्ट दर्ज कराने आई थी या नहीं। ऐसा नहीं हुआ कि फरियादी और आरोपीगण एक साथ आये थे और उसने मात्र फरियादी की रिपोर्ट लिखी थी तथा इससे भी इंकार किया है कि आरोपी वंदना द्वारा की गई रिपोर्ट प्र.पी.02 में उसने जानबूझकर समय का उल्लेख नहीं किया है।

09. अंकुर गुप्ता अ.सा.02 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। घटना दिनांक 09.10.2014 की है। वह घर में बाथरूम में था, उसी समय गालियों की आवाज सुनकर आया, तब उसने देखा कि आरोपी संजय उसकी माँ

के साथ मारपीट कर रहा था और उसका हाथ मरोड़ दिया था। हाथ मरोड़ने से उसके माँ की चूड़ी टूट गई और खून निकल गया। पुलिस ने उसका बयान लिया था और उसकी माँ की चूड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण उसके चाचा-चाची है और संपत्ति को लेकर विवाद है। विवाद का कारण उसकी दादी ने आरोपीगण को जो जमीन दी है, उसी बात का है। इस साक्षी ने भी प्रतिपरीक्षण में बताया है कि आरोपी संजय ने उसकी माँ को नाक में तीन-चार मुक्के मारा था, जिससे नाक से खून निकलने लगा था। इस प्रकार प्रतिपरीक्षण में आये कथन से भी मारपीट की घटना प्रकट है।

10. अरविंद गुप्ता अ.सा.10 ने बताया है कि वह आरोपीगण को जानता है। फरियादी सीमा को भी जानता है। घटना सुबह 8:30 बजे की है। वह घर पर बैठकर टी.व्ही. देख रहा था, उसी समय वंदना आई और उससे बोली की तुम लोग चोर हो, जब उसने गाली देने से मना किया, तब वंदना ने आरोपी संजय एवं नीता को बुलाकर लाया। संजय ने उसका गला पकड़ लिया, जब उसकी पत्नि सीमा ने बीच-बचाव की, तब आरोपी ने उसकी पत्नि के मुँह पर मारा। फिर उसने बीच-बचाव किया। पुलिस ने उसकी पत्नि सीमा के हाथ की टूटी हुई चूड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। प्रतिपरीक्षण में इस साक्षी ने भी बताया है कि आरोपीगण से जमीन का विवाद होने के कारण उनका बोलचाल बंद है। यह भी स्वीकार किया है कि आरोपीगण से पुताई करने वाली पेंट को लेकर बातचीत हुई थी तथा यह भी स्वीकार किया है कि उसके मुँह से खून निकला और चेहरा सूज गया था, किन्तु इससे इंकार किया है कि उसकी पत्नि को 20-25 जगह चोटें आई थी।

11. सीमा अ.सा.01 ने बताया है कि मारपीट के चोटों का उपचार पुलिस ने सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में कराया था। डॉ0 आर0के0 चतुर्वेदी

अ.सा.05 ने बताया है कि दिनांक 09.10.2014 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, बैहर में उसने आहत सीमा गुप्ता पति अरविंद गुप्ता का मेडिकल परीक्षण किया था। आहत के बांये कलाई पर एक खरोंच एक इंच गुणा एक इंच तथा नाक के उपर एक मुंदी हुई चोट एक इंच गुणा एक इंच लाल-नीले रंग की थी। उक्त चोट परीक्षण के दो से चार घंटे के भीतर सख्त एवं बोथरे हथियार से पहुँचाई गई थी, जिसके संबंध में दिया गया रिपोर्ट प्र.पी.07 है। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि आहत को 15-20 जगह चोटें नहीं थी। आहत ने अपने दांत के हिलने एवं मुँह सूजने के बारे में नहीं बताया था। स्वयं आहत ने अपने मुख्य परीक्षण में 15-20 जगह में चोट होने एवं दांत हिलने के बारे में नहीं बताया है। प्रतिपरीक्षण में उक्त सुझाव को स्वीकार किया है कि 15-20 जगह चोट आई थी और दांत हिलने लगे, किन्तु आहत सीमा ने अपने हाथ को मरोड़कर मारपीट करने की बात बताई है तथा हाथ की कलाई एवं नाक में एक चोट है। नाक की चोट के बारे में आहत के पति अरविंद गुप्ता अ.सा.03 ने भी बताया है, जिससे भी आहत की चोट प्रमाणित है।

12. शिवाजी तिवारी अ.सा.04 ने बताया है कि थाना बैहर में फरियादी सीमा गुप्ता द्वारा दर्ज कराये गये रिपोर्ट के विवेचना के दौरान दिनांक 09.10.2014 को उसने घटनास्थल का मौका-नक्शा प्र.पी.02 तैयार किया था। विवेचना के दौरान फरियादी सीमा गुप्ता, गवाह अरविंद, अंकुर के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था। उक्त दिनांक को ही फरियादी सीमा गुप्ता से गवाहों के समक्ष चूड़ी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.03 तैयार किया था। दिनांक 25.10.2014 को संजय गुप्ता, नीता गुप्ता, वंदना गुप्ता से गवाहों के समक्ष उपस्थिति पंचनामा प्र.पी.04 लगायत 06 तैयार किया था। विवेचना उपरांत अभियोग पत्र पेश किया गया था। प्रतिपरीक्षण में यह स्वीकार किया है कि उसने गवाहों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किया था उसमें अपने मन से

कुछ घटाया बढ़ाया नहीं था। इससे भी इंकार किया है कि उसने वंदना की रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही न कर आरोपीगण को फर्जी तरीके से मुलजिम बना दिया है।

13. इस प्रकार फरियादी सीमा ने आरोपीगण द्वारा मारपीट करने की बात बताई है, जिसकी पुष्टि साक्षी अंकुर अ.सा.02, अरविंद अ.सा.03 ने भी किया है। आहत सीमा ने हाथ की कलाई पर चोट आना बताया है। आहत की चोट का समर्थन चिकित्सक साक्षी डॉ० आर०के० चतुर्वेदी अ.सा.05 के कथन एवं मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.07 से होता है। साक्षीगण के कथन में कोई तात्विक विरोधाभास एवं लोप नहीं है। फलतः उपरोक्त परिस्थितियों में आरोपीगण द्वारा फरियादी सीमा के साथ मारपीट की घटना प्रमाणित पाया जाता है, जहाँ अभियोजन के मामले का समर्थन चिकित्सक साक्षी के कथनों से होता है। आहत एवं साक्षीगण के कथन में कोई दुर्बलता न हो वहाँ भी अभियोजन का मामला प्रमाणित पाया जाता है। इस संबंध में न्यायदृष्टांत भावला बनाम स्टेट ऑफ एम.पी. 2005(2) जे.एल.जे.403 अवलोकनीय है।

14. अब प्रकरण में यह विचार किया जाना है कि क्या आरोपीगण द्वारा फरियादी सीमा को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया गया था। आहत के कथन से अथवा बचाव में ऐसा भी कोई तथ्य प्रकट नहीं होता है कि गंभीर एवं अचानक प्रकोपन के वशीभूत होते हुए अथवा प्राइवेट प्रतिरक्षा के अधिकार के प्रयोग में आरोपीगण ने फरियादी से मारपीट की थी। फलतः आरोपीगण द्वारा की गई घटना भी स्वेच्छया किया जाना प्रमाणित होता है।

विचारणीय प्रश्न क्रमांक-03

15. सीमा गुप्ता अ.सा.01 ने बताया है कि आरोपीगण उसे जान से खत्म करने की धमकी दे रहे थे। अरविंद अ.सा.03 ने भी बताया है कि आरोपीगण ने जान से मारने की धमकी दी थी। साक्षी अंकुर अ.सा.02 ने आरोपीगण द्वारा धमकी दिये जाने के बारे में नहीं बताया है। फरियादी सीमा

अ.सा.01 ने यह नहीं बताया है कि वह आरोपीगण की धमकी को सुनकर भयभीत हो गई थी या उसे जान का भय पैदा हो गया था। फरियादी सीमा ने यह भी नहीं बताया है कि आरोपीगण ने घटना पश्चात् अपनी धमकी को कार्यरूप में परिणित करने के लिए कोई कार्य किया था, जिससे आरोपीगण का धमकी निष्पादित करने का सुदृढ़ निश्चय व्यक्त नहीं होता है। फलतः घटना दिनांक को आरोपीगण द्वारा फरियादी को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर उसे आपराधिक अभित्रास कारित करने की घटना का तथ्य प्रमाणित नहीं होता है। उक्त संबंध में न्यायदृष्टांत शरद दवे विरुद्ध महेश गुप्ता विधि भास्वर 2005(2) पेज नं.152 अवलोकनीय है।

16. उपरोक्त विवेचना के आधार पर न्यायालय इस निष्कर्ष पर है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे यह प्रमाणित करने में असफल रहा है कि आरोपीगण ने दिनांक 09.10.2014 को समय 8:30 बजे आरक्षी केन्द्र बैहर अंतर्गत वार्ड नंबर-9 सिविल लाईन, बैहर में फरियादी सीमाबाई को लोकस्थान या उसके समीप मॉ-बहन के अश्लील शब्द उच्चारित कर उसे एवं अन्य सुनने वालों को क्षोभ कारित किया, फरियादी सीमाबाई को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। फलतः आरोपीगण को धारा-294, 506 (भाग-2) भा.दं.वि. के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है, किन्तु अभियोजन यह प्रमाणित करने में सफल रहा है कि आरोपीगण ने अन्य सहआरोपीगण के साथ फरियादी सीमाबाई को मारपीट करने का सामान्य आशय बनाकर उक्त सामान्य आशय के अग्रसरण में फरियादी सीमाबाई को मारपीट कर स्वेच्छया उपहति कारित किया। फलतः आरोपीगण को धारा-323/34 भा.दं.वि. के आरोप में सिद्धदोष पाया जाकर दोषसिद्ध ठहराया जाता है। प्रकरण की परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए आरोपीगण को अपराधी परिवीक्षा अधिनियम का लाभ नहीं दिया जा रहा है। फलतः दण्ड के

प्रश्न पर सुनने के लिए निर्णय कुछ समय के लिए स्थगित किया जाता है।

(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी,
बैहर जिला बालाघाट म.प्र.

पुनःश्च,

17. दण्ड के प्रश्न पर उभयपक्ष को सुना गया। आरोपीगण के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि आरोपीगण के विरुद्ध पूर्व दोषसिद्धि नहीं है। प्रथम अपराध है। प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है तथा लगभग प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर आरोपीगण उपस्थित होते रहे हैं। फलतः दण्ड के प्रति नरम रुख अपनाये जाने का निवेदन किया है। अभियोजन की ओर से ए.डी.पी.ओ. ने आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया है। उभयपक्ष को दण्ड के प्रश्न पर सुनने एवं प्रकरण के अवलोकन से भी प्रकट है कि प्रकरण वर्ष 2014 से लंबित है। आरोपीगण भी प्रायः प्रत्येक सुनवाई तिथियों पर उपस्थित होते रहे हैं। फलतः अपराध की प्रकृति एवं उक्त परिस्थितियों को देखते हुए आरोपीगण को निम्नलिखित दण्ड से दण्डित किया जाता है :-

क्र.	आरोपी का नाम	धारा	जेल की सजा	अर्थदण्ड	व्यतिक्रम में सजा
01	संजय पिता गोवर्धन प्रसाद गुप्ता, उम्र-42 वर्ष	323/34 भा.द.वि.	न्यायालय अवसान अवधि तक कारावास	1,000/- रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास
02	श्रीमति नीता पति संजय गुप्ता, उम्र-42 वर्ष	323/34 भा.द.वि.	न्यायालय अवसान अवधि तक कारावास	1,000/- रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास
03	वंदना पति अजय गुप्ता, उम्र-42 वर्ष	323/34 भा.द.वि.	न्यायालय अवसान अवधि तक कारावास	1,000/- रुपये	15 दिवस का साधारण कारावास

18. आरोपीगण के बंधपत्र एवं प्रतिभूति पत्र निरस्त किया जाता है। आरोपीगण जमानत पर है। आरोपीगण को अभिरक्षा में लिया जाकर सजा

भुगताने हेतु जेल भेजा जावे।

19. आरोपीगण जिस कालावधि के लिए जेल में रहे हो उस विषय में एक विवरण धारा-428 दं.प्र.सं. के अंतर्गत बनाया जावे जो निर्णय का भाग होगा। निरोध की अवधि मूल कारावास की सजा में मात्र मुजरा हो सकेगी। आरोपीगण की पुलिस/न्यायिक अभिरक्षा की अवधि निरंक है।

20. आरोपीगण द्वारा अर्थदण्ड अदा कर दिये जाने पर अर्थदण्ड की संपूर्ण राशि 3,000/-रुपये (अंकन में तीन हजार रुपये) आहत सीमा पति अरविंद गुप्ता, उम्र-45 वर्ष, निवासी वार्ड नंबर-9 बैहर जिला बालाघाट म0प्र0 अपील अवधि पश्चात् अपील न किये जाने की दशा में प्राप्त करने के अधिकारी होगी तथा अपील होने की स्थिति में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश की प्रतीक्षा किया जावे।

21. प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक शील बंद पैकेट में लाल, हरे रंग की टूटी कांच के 10 टुकड़े एवं दो साबुत चूड़ी मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् अपील न होने की दशा में नष्ट किया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित,
हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

“मेरे निर्देश पर टंकित किया”

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)

सही /—
(मधुसूदन जंघेल)
न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर
जिला बालाघाट (म.प्र.)